अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2021 (RCMS 2021/113) RTI No. 212117912339061 **नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिह वार्ड नं 24, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकार, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र उपस्थित नहीं है। **मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.20201 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 30.07.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्र क्रमांक 305 दिनांक 21.08.2019 को आप द्वारा पालिकाओं को भेजे गये पत्र पर अधिशाषी अधिकारी संदीप कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
2. पत्र क्रमांक 2045–2046 दिनांक 02.09.2019 को अधिशाषी अधिकारी द्वारा भेजे गये पत्र पर आप द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसकी प्रमाणित प्रतिं
3. प्रार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा सन् 2019 को पुलिस थाना के अवैध निर्माण को रोकनें के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। सन् 2019 से 2021 तक जो भी कार्यवाही की गई, उसकी प्रमाणित प्रति दी जावे, [illegible] नहीं किया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ./21/343 दिनांक 06.07.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है, जो कि पत्र क्रमांक 305 दिनांक 21.08.2019 व पत्र क्रमांक 2045–2046 दिनांक 02.09.2019 है। जिसकी प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं
>
> **संलग्न : उक्तानुसार।**
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्रांक 331 दिनांक 06.07.2021 से अपीलार्थी को दिया जा चुका है और अपीलार्थी ने उक्त पत्र पर हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल. दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:11 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर